न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 04/2025/अपील/एलआरएक्ट/बारां

दायरा दिनांकः 07.01.2025

अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. रामनिवास आत्मज श्री बिरधीलाल माता गंगा बाई
2. कालूराम आत्मज श्री बिरधीलाल माता गंगा बाई
3. गिरिराज आत्मज श्री बिरधीलाल माता गंगा बाई

   निवासीगण किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां हाल मुकाम ग्राम ढाबा, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राजस्थान)
4. सीमा बाई पुत्री श्री बिरधीलाल माता गंगा बाई पत्नी श्री रामेश्वर, निवासी डाबर बम्बोरी, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राजस्थान)
5. रेखा बाई पुत्री श्री बिरधीलाल माता गंगा बाई पत्नी श्री मुरली, निवासी पाडसलिया, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राजस्थान)
6. मनभर बाई पुत्री श्री बिरधीलाल माता गंगा बाई पत्नी श्री सूर्यप्रकाश, निवासी ग्राम झागडोन्द, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राजस्थान)
7. कौशल्या बाई पुत्री श्री बिरधीलाल माता गंगा बाई पत्नी श्री श्योजी, निवासी गेंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राजस्थान)

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. प्रहलाद आत्मज श्री कृष्ण, निवासी किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राजस्थान)
2. आनन्दलाल आत्मज श्री कृष्ण, निवासी किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज०)
3. कंवरी उर्फ नन्दकंवर पत्नी श्री रामेश्वर पुत्री केसरीलाल, निवासी पागलखेड़ा रोड़ सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज०)
4. लीला बाई पत्नी श्री रामेश्वर पुत्री केसरीलाल, निवासी माखिदा, तहसील केशोरायपाटन, जिला बूंदी (राज०)
5. संतोष पत्नी श्री रमेश पुत्री केसरीलाल, निवासी कच्ची बस्ती, कबीर आश्रम गली, रंगबाड़ी बालाजी, कोटा (राज०)

22/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

6 बलदाउ आत्मज श्री प्रहलाद, निवासी किशनपुरा, तह० मांगरोल, जिला बारां (राजस्थान)

7. महावीर आत्मज श्री प्रहलाद, निवासी किशनपुरा, तह० मांगरोल, जिला बारां (राजस्थान)

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राजस्थान)

.....रेस्पो०

उपस्थित : श्री ललित नागर अभिभाषक –अपीलार्थीगण
श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक – रेस्पो० क्र. 1, 3 लगायत 7
पेरोकार सरकार – रेस्पो० क्र.8

::निर्णय::

दिनांक 22.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं० 07/2024 बउनवान गंगाबाई मृतक जरिये का०मु० रामनिवास वगे० बनाम प्रहलाद वगै० में पारित निर्णय दिनांक 06.11.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, मांगरोल के द्वारा तस्दीक इंतकाल संख्या 95 दिनांक 15.09.1963 के विरूद्ध अपील पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 60 वर्ष के उपरांत अपील पेश करने का उचित, युक्तियुक्त एवं तथ्यात्मक कारण नहीं होना मानते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को अस्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से निर्णय दिनांक 06.11.2024 से खारिज की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.11.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अपील अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामान्तकरण संख्या 95 दिनांक 15.09.1963 तहसील मांगरोल के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और निवेदन किया था कि श्रीकृष्ण उर्फ श्रीकिशन जी के तीन पुत्र व एक पुत्री क्रमशः केसरीलाल, प्रहलाद व आनन्दीलाल एवं गंगा बाई रहे है। श्री किशन जी की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 50, 85, 110, 384, 407 कुल 5 किता की रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां में स्थित रही है। श्री किशन जी के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि का

22/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

नामान्तकरण संख्या 95 अवैध व गैर कानूनी तरीके से तहसीलदार मांगरोल द्वारा केवल मात्र तीन पुत्र केसरीलाल, प्रहलाद व आनन्दीलाल के पक्ष में खोल दिया गया और पुत्री गंगा बाई जो कि अपीलार्थीगण की माता है, के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जबकि कानूनन श्री किशन जी के चारों वारिसान अपीलांट की माता गंगा बाई और रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 लगायत 5 का नाम दर्ज किया ना चाहिये था, जो नहीं किया गया और रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार मांगरोल के साथ षडयंत्र कर मिलीभगत करते हुये अपने नाम फौती नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया, जो अवैध व गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य था। उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध व गैर कानूनी तरीके से विधि के विरूद्ध जाकर खारिज फरमा दिया गया। इस प्रकार निर्णय जैर अपील न्याय एवं सिंचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील का निर्णय मियाद के आधार पर यह कहते हुये किया कि अपील अपीलार्थीगण ने 60 वर्ष बाद मियाद बाहर पेश की है और देरी के सम्बंध में कोई उचित व तथ्यात्मक कारण प्रकट नहीं किया है। इस आधार पर अपील को अवधि बाधित मानते हुये खारिज फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में कोई फाईण्डिंग नहीं दी कि अपील अवधि बाधित क्यों है ? अधीनस्थ न्यायालय ने नॉन स्पीकिंग रूप से निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्ट्या ही अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ देरी को कंडोन किये जाने हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना–पत्र पेश किया है और देरी का कारण लिखा है कि अपीलार्थीगण ग्रामीण परिवेश के बिना पढ़े लिखे व्यक्ति है और उन्हें उनके भाई रेस्पोडेन्ट पिता के स्वर्गवास के पश्चात् से लगातार अपीलार्थीगण की माता गंगा बाई को हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त के पेटे मुनाफा के रूप में राशि अदा करते चले आ रहे थे। माह जून 2023 में अपीलार्थीगण की माता द्वारा अपने–अपने हिस्से की जमींन के सम्बंध में मुनाफा राशि की मांग की तो रेस्पोडेन्ट ने मुनाफा की राशि अदा करने से इंकार कर दिया और अपीलार्थीगण की माता से कहा कि जमींन से उसका कोई वास्ता नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के बारे में जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट ने पिता श्रीकिशन जी के स्वर्गवास के बाद पुत्री गंगा बाई के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं करवाकर अकेले श्रीकिशन जी के तीनों पुत्रों के नाम फौती नामान्तकरण दर्ज करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया। जिस पर अपीलार्थीगण की माता ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की और देरी को कंडोन करने का निवेदन किया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा देरी के सम्बंध में बताये गये वास्तविक व युक्तियुक्त कारण को नजरअंदाज करते हुये बिना कोई फाईण्डिंग दिये अपील को अवधि बाधित मानकर खारिज फरमा दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आने से खारिज किये जाने योग्य है। श्रीकृष्ण जी की मृत्यु के पश्चात् वाद वर्णित भूमि का नामान्तकरण तीनों भाईयों के साथ–साथ

22/5/2025
अति. सं. आयुक्त

अपीलार्थीगण की माता गंगा बाई के नाम हिस्सा 1/4 के रूप में दर्ज होना चाहिये था, जो नहीं हुआ। इस प्रकार अपीलार्थीगण के साम्पत्तिक मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ है, साथ ही अपीलांट्स को उनके साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित करने का अवैध प्रयास किया गया है जबकि विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से उनके हक अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को उपरोक्त अवैध कार्यवाही को चैलेन्ज करने का उसे अधिकार है और ऐसे अवैध कृत्य को चैलेन्ज करने के लिये कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये गये थे और इन न्यायिक निर्णयों में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि न्यायालय को देरी के सम्बंध में उदारता पूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिये। अपीलार्थीगण ने सशपथ देरी के सम्बंध में प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अपीलार्थीगण के शपथ–पत्र के खण्डन में कोई काउन्टर शपथ–पत्र रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ था। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने में गलती की है और माननीय उच्च न्यायायल व सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध जाकर निर्णय दिनांक 06.11.2024 पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2024 निरस्त फरमाया जावे एवं रेस्पो0 तहसीलदार मांगरोल के द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 95 दिनांक 15.09.1963 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण एवं रेस्पो0 क्र. 1, 3 लगायत 7 अभिभाषक सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया तहसीलदार मांगरोल के द्वारा नामांतकरण तस्दीक करने के दौरान श्री किशन की पुत्री का नाम छोड़ दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार, मांगरोल के द्वारा पुत्री को संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया जबकि ऐसी स्थिति में उदारता का रूख अपनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिक वारिसान की जांच कर नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश दिया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2024 निरस्त फरमाया जाने तथा तहसीलदार मांगरोल के द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 95 दिनांक 15.09.1963 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2021(4) DNJ [SC] Page No. 1167, 2014 (3) DNJ Raj. Page No. 1136, 2017 DNJ SC Page No. 928 पेश किये।

22/5/2025

अति. सं. आयुक्त

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 एवं 3 लगायत 7 द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के द्वारा दिनांक 15.09.1963 के नामांतरकरण के विरूद्ध 61 वर्ष पश्चात् अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इतने अधिक समय अंतराल के उपरांत अपील पेश करने का उचित, युक्तियुक्त एवं तथ्यात्मक कारण नहीं होना मानते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को अस्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से निर्णय दिनांक 06.11.2024 से खारिज की गई है। खातेदार श्री किशन की मृत्यु 1956 से पूर्व हो चुकी थी। रेस्पो0 क्र.1 प्रहलाद इंतकाल में नाबालिग दर्ज हुआ था। प्रश्नगत आराजी कई बार ट्रांसफर हो चुकी है। अतः अपीलार्थीगण के द्वारा प्रकरण में दावा प्रस्तुत किया जाकर ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील मियाद बाहर होने से खारिज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली को अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, मांगरोल के द्वारा तस्दीक इंतकाल संख्या 95 दिनांक 15.09.1963 के विरूद्ध अपील पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 60 वर्ष के उपरांत अपील पेश करने का उचित, युक्तियुक्त एवं तथ्यात्मक कारण नहीं होना मानते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को अस्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से निर्णय दिनांक 06.11.2024 से खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.11.2024 के विरूद्ध तर्क रहा है कि तहसीलदार मांगरोल के द्वारा नामांतकरण तस्दीक करने के दौरान श्री किशन की पुत्री का नाम छोड़ दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार, मांगरोल के द्वारा पुत्री को संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया जबकि ऐसी स्थिति में उदारता का रूख अपनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिक वारिसान की जांच कर नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश दिया जाना चाहिए था। इसके विपरित रेस्पो0 का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के द्वारा दिनांक 15.09.1963 के नामांतरकरण के विरूद्ध 61 वर्ष पश्चात् अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इतने अधिक समय अंतराल के उपरांत अपील पेश करने का उचित, युक्तियुक्त एवं तथ्यात्मक कारण नहीं होना मानते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को अस्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से निर्णय दिनांक 06.11.2024 से खारिज की गई है। खातेदार श्री किशन की मृत्यु 1956 से पूर्व हो चुकी थी। रेस्पो0 क्र.1 प्रहलाद इंतकाल में नाबालिग दर्ज हुआ था। प्रश्नगत आराजी कई बार ट्रांसफर हो चुकी है। अतः अपीलार्थीगण के द्वारा प्रकरण में दावा प्रस्तुत किया जाकर ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

22/5/2025

अति. सं. आयुक्त

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण मियाद (विलम्ब) के आधार पर खारिज किया, जिसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण के द्वारा 60 वर्ष के विलम्ब के पश्चात् नामांतरकरण की अपील की गई, लेकिन अपीलार्थीगण द्वारा अत्यधिक विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण ना तो इस न्यायालय में तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय में बताया गया। जबकि अपील मियाद के बिन्दु पर कानूनन विलम्ब का दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। आर.आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ संख्या 549 में प्रतिपादित है कि *An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainity and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a parties on in action, negligence or laches.* इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया गया है कि *Liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay – held , application & appeal are liable to be dismissed.* इस प्रकार अपीलार्थीगण के द्वारा नामांतकरण के विरूद्ध 60 वर्ष के पश्चात् अपील पेश करने में हुए विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2024 उचित एवं विधिसम्मत होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/5/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति०संभागीय आयुक्त
कोटा